मध्य प्रदेश शासन पर्यावरण विभाग मंत्रालय ग3गदेशग

भोपाल, दिनांक अवद्वर, 2017 कमांक एफ 5-1/2017/18-5-भारत सरकार,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भंत्रातय की अधिसूचना कमांक काआ 3288(अ) दिनांक 10 अक्टूबर 2017 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण(एसईआईएए) मध्यप्रदेश एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) का गठन

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रमाव निर्घारण प्राधिकरण(एसईआईएए)

श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव,भा.प्र.से.(से.नि.) डी-9,74 बंगला,भोपाल अध्यक्ष

श्री आर.के.शर्मा, 39,रघुनाथ नगर,निकट-शाहपुरा थाना, सदस्य भोपाल

कार्यकाचे निदेशक, (3) पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन(एफ्को) ई-5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल

सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी)

मो० कासम खान,भा व से (से नि.) (1)एफ 402,रेमालिया हाईट्स,अहमदाबाद पैलेस, कोहफिजा,भोपाल

सदस्य

अध्यक्ष

डॉं० मो० अकरम खान (2)सी-156,बीडीए कॉलोनी,कोहफिजा, भोपाल

सदस्य

(3) डॉ० ए०के०शर्मा, मकान नं.-61,फेज-1,रिवेरा टॉंचन,निकट माता मदिर भोपाल

सदस्य

(4) डॉ० रुविना चोधरी उर्जा और पर्यावरणीय अध्ययन विद्यालय, इंजीनियरिंग विज्ञान संकाय देवा अहिल्या वि०वि०,तक्षशिला केम्पस,खंडवा रोड,इंदोर

सदस्य

(5) डॉ० सोनल मेहता. 11/6, पर्ल शालीमार एन्क्लेव,ई-3, अरेरा कॉलोनी,पारस सिटी के सामने,भोपाल

सदस्य

(6) श्री प्रशांत श्रीवास्तव इंप्लेक्स-145,फेज-1,शीतल मेगा सिटी, गज्जू पिपलिया रोड,गंडीदीप,जिला रायसेन

सदस्य

डॉ० जय प्रकाश शुवला (7)जल संसाधन प्रवंधन और ग्रामीण प्रोद्योगिकी समूह बीएसआईआर-उन्तत सामग्री और प्रकिया रांसाधन अनुसंधात संस्थान,भोपाल

(8) श्री रामेश्वर माहेश्वरी, 182—एम,कथिवाला टेंक इंदीर

सदस्य

(9) सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई–5,अरेरा कॉलोनी,पर्यावरण परिसर, भोपाल

सचिव

2/ उक्त सिया/सेक समिति का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष तक अर्थात् दिनांक 09 अक्टूबर,2020 तक रहेगा ।

3/ उक्त राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण(एसईआईएए) मध्यप्रदेश एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के कर्तव्यं एवं दायित्व भारत सरकार की अधिसूचना कमांक 1553(अ),दिनांक 14 सितम्बर,2006 एवं अधिसूचना कमांक का.आ 49(अ),दिनांक 08 जनवरी,2008 में निहित प्रावधानों के अनुसार ही होगे। 4/ उक्त सिया एवं सेक के अध्यक्ष/सदस्यों को दिये जाने वाले मानदेय/भत्ते/सुविधायें मध्यप्रदेश शासन,आवास एवं पर्यावरण विभाग,मंत्रालय के आदेश कमांक एफ 5-4/2006/32,भोपाल,दिनांक 27/2/2008 के अनुसार देय होगें।

5/ भारत सरकार की अधिसूचना कमांक का.आ. 49(अ),दिनांक 1.1.2008 की कंडिका—5 एवं कंडिका—10 के अनुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण(एसईआईएए) मध्यप्रदेश एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठकों एवं कार्य संपादन हेतु रिसर्च एडं डेवलपमेंट विंग,मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,ई—5,अरेस कॉलोनी,पर्यावरण परिसर सचिवालय निर्धारित किया जाता है।

(राजीव शर्मा) अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग भोपाल,दिनांक 🖎 अक्टूबर,2017

पृ०कमांक एफ 5—1/2017/18—5 प्रतिलिपिः

1/ संयुक्त सचिव,भारत सरकार, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना कृमांक का.आ.3288(अ),दिनांक 10 अक्टूबर,2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

2/ प्रमुख सचिव,मा० मुख्यमंत्रीजी,मुख्यमंत्री कार्यालय,भोपाल ।

3/ प्रमुख सचिव(समन्वय),मुख्य सचिव कार्यालय,भोपाल ।

कार्यपालन संचालक एप्को भोपालएव सदस्य सचिव सिया । कृपया सर्वसर्वधितों को अपने स्तर से आदेश वितरित करवाने का कष्ट करें ।

5/ अध्यक्ष / सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।

6/ विशेष सहायक मा० मंत्रीजी,पर्यावरण मध्यप्रदेश शासन ।

7/ नियंत्रक, शा०केन्द्रीय मुद्रणालय, मेदा मिल रोड, भोपाल । कृपया उक्त आदेश को मध्यप्रदेश साधारण राजपत्र के आगामी अक में प्रकाशित कर, अधिसूचना की प्रति विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर सचिव मध्यप्रदेश रासिन पर्यावरण विभाग



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2873]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्त्बर 11, 2017/आश्विन 19, 1939

No. 28731

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 2017/ASVINA 19, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2017

का.आ. 3288(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, मध्य प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, मध्य प्रदेश कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

 श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, डी-9, 74 बंगला, भोपाल - 462003, मध्य प्रदेश।

अध्यक्ष

श्री आर.के शर्मा,
 त्रभुताथ नगर, निकट शाहपुरा थाना,
 भोपाल - 462039, मध्य प्रदेश

सदस्य

कार्यकारी निदेशक,
 पर्यावरणीय योजना और समन्वय
 संगठन (ईपीसीओ) पर्यावरण परिषद्,
 ई-5, अरेरा कॉलोनी,
 भोपाल - 462016, मध्य प्रदेश

सदस्य सचिव

- 2. प्राधिकरण, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख़ से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
- 3. प्राधिकरण, मध्य प्रदेश, उक्त अधिसूचना में यथा प्रगणित ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा।
- 4. प्राधिकरण, मध्य प्रदेश राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के पश्चात् अपना निर्णय लेगा ।

5. प्राधिकरण, मध्य प्रदेश की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसईएसी, मध्य प्रदेश कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

 मोहम्मद कासम खान भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त) एफ-402, रेगालिया हाइट्स, अहमदाबाद पैलेस रोड, कोह ई फिजा, भोपाल – 462001, मध्य प्रदेश अध्यक्ष

 डॉ, मोहम्मद अकरम खान सी-156, बीडीए कॉलोनी, कोह ई फिजा, भोपाल – 462001, मध्य प्रदेश

सदस्य

 डॉ. ए. के. शर्मा मकान सं.- 61, फेज-1, रिविएरा शहर, निकट माता मंदिर, भोपाल – 462003, मध्य प्रदेश सदस्य

डॉ. रुबिना चौधरी
ऊर्जा और पर्यावरणीय अध्ययन विद्यालय,
इंजीनियरी विज्ञान संकाय,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला
कैम्पस, खंडवा रोड,
इंदौर – 452017, मध्य प्रदेश

सदस्य

डॉ. सोनल मेहता
 11/6 पर्ल शालीमार एन्क्लेव,
 ई-3, अरेरा कॉलोनी, पारस सिटी के सामने,
 भोपाल – 462015, मध्य प्रदेश

सदस्य

 श्री प्रैशांत श्रीवास्तव डुप्लेक्स – 145, फेज-I, शीतल मेगा सिटी, गज्जू-पिपलिया रोड, मंडीदीप, रायसेन – 462046, मध्य प्रदेश सदस्य

 डॉ. जय प्रकाश शुक्ला जल संसाधन प्रवंधन और ग्रामीण प्रौद्योगिकी समूह, सीएसआईआर - उन्नत सामग्री और प्रक्रिया संसाधन अनुसंधान संस्थान भोपाल – 462064, मध्य प्रदेश सदस्य

श्री रामेश्वर महेश्वरी
 182 (एम) कथिवाला टैंक,
 इंदौर – 452001, मध्य प्रदेश

सदस्य

सदस्य सचिव
 मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
 ई-5, अरेरा कॉलोनी, पर्यावरण परिसर,
 भोपाल – 462016, मध्य प्रदेश

सचिव

- 6. राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए पद धारण करेंगे।
- 7. राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, मध्य प्रदेश, उक्त अधिसूचना में यथा प्रगणित ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी।
- 8. राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, मध्य प्रदेश सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और इसका अध्यक्ष प्रत्येक मामले में मतैक्य बनाने का प्रयास करेगा तथा यदि मतैक्यता पर नहीं पहुंचा जाता है तो बहुमत की राय अभिभावी होगी।
- 9. मध्य प्रदेश सरकार, प्राधिकरण, मध्य प्रदेश और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, मध्य प्रदेश के लिए एक अभिकरण को सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित करेगी और तथा सचिवालय प्राधिकरण, मध्य प्रदेश और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, मध्य प्रदेश के सभी कानूनों कृत्यों के सम्बन्ध में आवास परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाओं सहित सभी वित्तीय और संभार तंत्र सहायता उपलब्ध कराएगा।
- 10. प्राधिकरण, मध्य प्रदेश और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किए जाएंगे।

[फा. सं. जे-11013/63/2007-आईए-॥(।)]

ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2017

- S.O. 3288(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the Authority, Madhya Pradesh) comprising of the following Members, namely:—
 - Shri Rakesh Kumar Shrivastava
 D-9, 74 Bangalow,
 Bhopal 462003, Madhya Pradesh

-Chairman;

 Shri R. K. Sharma
 Raghunath Nagar, Near Shahpura Thana, Bhopal - 462039, Madhya Pradesh -Member:

Executive Director,
 Environmental Planning and Coordination Organisation (EPCO),
 Paryavaran Parisar,
 E- 5, Arera Colony,
 Bhopal - 462016, Madhya Pradesh

-Member Secretary.

- 2. The Chairman and Members of the Authority, Madhya Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.
- 3. The Authority, Madhya Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Notification.
- 4. The Authority, Madhya Pradesh shall take its decision after the recommendations of the State Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the State of Madhya Pradesh.
- 5. To assist the Authority, Madhya Pradesh, the Central Government, in consultation with the State Government of Madhya Pradesh, hereby constitutes the State Expert Appraisal Committee (SEAC) (hereinafter referred to as the SEAC, Madhya Pradesh) comprising of the following Members, namely:—
 - Mohd. Kasam Khan Indian Forest Services (Retired) F-402, Regalia Heights, Ahmadabad Palace Road, Koh e Fiza, Bhopal - 462001, Madhya Pradesh

-Chairman;

2.	Dr. Mohd. Akram Khan C-156, BDA Colony Koh e Fiza, Bhopal - 462001, Madhya Pradesh	-Member;
3.	Dr. A. K. Sharma House No. 61, Phase-1, Riviera Towne, Near Mata Mandir, Bhopal - 462003, Madhya Pradesh	-Member;
4.	Dr. Rubina Chaudhary School of Energy and Environmental Studies, Faculty of Engineering Sciences, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Takshshila Campus, Khandwa Road, Indore - 452017, Madhya Pradesh	-Member;
5.	Dr. Sonal Mehta 11/6 Pearl Shalimar Enclave, E-3, Arera Colony, Opp. Paras City, Bhopal - 462015, Madhya Pradesh	-Member;
6.	Shri Prashant Srivastava Duplex- 145, Phase-I, Sheetal Mega City, Gajju-Pipaliya Road, Mandideep, Raisen - 462046, Madhya Pradesh	-Member;
7.	Dr Jai Prakash Shukla Water Resource Management and Rural Technology Group, CSIR-Advanced Material and Process Research Institute, Bhopal- 462064, Madhya Pradesh	-Member;
8.	Shri Rameshwar Maheshwari 182 (M) Kathiwala Tank, Indore-452001, Madhya Pradesh	-Member;
9.	Member Secretary Madhya Pradesh Pollution Control Board E-5, Area Colony, Paryavaran Parisar, Bhopal-	-Secretary.

The Chairman and Members of the SEAC, Madhya Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

462016, Madhya Pradesh

- The SEAC, Madhya Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Notification.
- The SEAC, Madhya Pradesh shall function on the principle of collective responsibility and its Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.
- The Government of Madhya Pradesh shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Madhya Pradesh and the SEAC, Madhya Pradesh and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all statutory functions of the Authority, Madhya Pradesh and the SEAC, Madhya Pradesh.
- The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Madhya Pradesh and the SEAC, Madhya Pradesh shall be paid as per the rules of the State Government of Madhya Pradesh.

[F. No. J-11013/63/2007-IA-II (I)] GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

ALOK



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (il)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1380]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 30, 2014/आषाद 9, 1936

No. 1380]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 30, 2014/ASADHA 9, 1936

पर्यावरण और वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 2014

का.आ. 1650(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संख्राण) अधिनियम, 1986, (1986 का 29) की घारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का आ. 1533(अ). तारीख 14 सितंबर 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राजपत्र अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य रत्तरीय पर्यावरण प्रमाव निर्धारण प्राधिकरण (एस ई आई ए ए). मध्यप्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :-

- श्री वसीम अख्तर
 नादिर कालोनी, श्यामला हिल्स, भोपाल-462013
- 2. श्री हरिशंकर वर्मा
 - म, नं. 4, द्वारकापुरी कोटरा सुत्तानाबाद, भोपाल-462003
- कार्यकारी निदेशक, पर्यावरणीय योजना और समन्वय संगठन (ई पी सी ओ).

- अध्यक्ष
- सदस्य
- सदस्य- सचिव
- 2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए पद धारण करेंगे ।
- 3. प्राधिकरण, मध्यप्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रगणित हो ।

4. प्राधिकरण, मध्यप्रदेश, अपने निर्णय पर पहुंचने से पहले, पैस-5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस ई ए सी) की सिफारिशों पर विचार करेगा । '

5. केंद्रीय सरकार चयत प्राधिकरण की सहायता कें लिए मध्यप्रदेश राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, मध्यप्रदेश (जिसे इसमें इसके परचात् एस ई ए सी कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—

1.	श्री पविद्र बिहारीलाल, ई-1/176 अरेरा कालोनी भोपाल, मध्यप्रदेश	अध्यक्ष
2.	डा. श्रीनिवासन कृष्णन अय्यर फ्लैट १ए-१०१, ब्लाक १, इंसा चित्रा अपार्ट, चित्रा टाउनशिए, जामिन पल्लावरम, चेन्नई- 600043	सदस्य
3.	श्री ए. पी. श्रीवास्तव ई-8/52, रेलवे हाउसिंग सोसाइटी, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016	सदस्य
4.	श्री कत्याण प्रसाद नयाती डी-1-सी/56ए, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058	सदस्य
5.	डा. महेरा प्रसाद सिंह विभागाध्यक्ष, दन विज्ञान विभाग वानिकी संकाय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, शंची- 834006, झारखंड	सदस्य
6.	डा. मोहिनी सक्तेना भारतीय योग अनुसंघान केंद्र रेडियो ट्रांसमिशन केंद्र के समीप, आनंद नगर रायसेन रोड़, भोपाल-21	सदस्य
7.	डा. मनोज प्रधान खनन इंजिनीयरी विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर (राष्ट्रीय महत्व का संस्थान) जी.ई. रोड, छत्तीसगढ़	सदस्य
8.	श्री मनोहर के जोशी 155, विश्वकर्मा नगर अन्त पूर्णा रोड, इंदौर-452009 (एम.पी.)	सदस्य
9,	श्री रामेश्वर माहेश्वरी 182 एम्, खाटीवाला टॅंक, इंदौर	सदस्य
10.	डा. चदयराज सिंह 94, छत्रपति कालोनी, चूनामट्टी वाल्मी रोड, भोपाल-462016	सदस्य
11.	ख. आलोक मित्तल, आचार्य, रसायन विज्ञान विमाग, भौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भौपाल-462051	सदस्य
12.	सदस्य सचिव मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सचिव

6. एस ई ए सी, मध्यप्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. एस ई ए सी, मध्यप्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रगणित हो ।

8. एस ई ए सी, मध्यप्रदेश सामृहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में मतैक्यता पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि मतैक्यता पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत की राय अभिमावी होगी ।

- 9. मध्यप्रदेश राज्य सरकार, प्राधिकरण, मध्यप्रदेश और एस ई ए सी, मध्यप्रदेश के लिए सविवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण को अधिसूचित करेगी और उसके सभी कानूनी कृत्वों की बाबत आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाओं सहित उसे सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन प्रदान करेगी ।
- 10. प्राधिकरण, मध्यप्रदेश के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एस ई ए सी, मध्यप्रदेश के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते का मध्यप्रदेश राज्य सरकार के संबद्ध नियमों के अनुसार संदाय किया जाएगा ।

[सं. जे-11013/63/2007-आई.ए.[[(1)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS ORDER

New Delhi, the 30th June, 2014

S.O. 1650(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Gazette Notification) the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following Members, namely: -

Shri Wascem Akhatar 10, Nadir Colony, Shamla Hills, Bhopal -462013 Chairman

Shri Harishankar Verma H.No. 4, Dwarkapuri Kotra Sultanabad, Bhopal-462003.

Member

Executive Director, Environmental Planning and Coordination Organization (EPCO), Bhopal

Member-Secretary

- 2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
- 3. The Authority, Madhya Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Gazette notification.
- 4. The Authority, Madhya Pradesh shall, before arriving at its decision, consider the recommendations made by the State level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted under paragraph 5.
- 5. To assist the said Authority, the Central Government, in consultation with the State Government of Madhya Pradesh, hereby constitutes the State level Expert Appraisal Committee, Madhya Pradesh (hereinafter referred to as SEAC), which shall comprise the following Members, namely:-

I.	Shri Ravindra Biharilal E-1/176, Arera Colony Bhopal, Madhya Pradesh.	Chairman
2,	Dr. Srinivasan Krishnan Iyer Flat 1A -101, Block 1, Hansa Citra Apts., Chitra Township, Zamin Pallavaram, Chennai-600043	Member
3.	Shri A. P. Shrivastava, E-8/52, Railway Housing Society Arera Colony Bhopal-462016	Member

4.	Shri Kalyan Prasad Nyati, D-1-C/56-A, Janakpuri, New Delhi-110058	Member
5	Dr.Mahesh Prasad Singh Head of the Department of Forest Science Faculty of Forestry Birsa Agricultural University Kanke Ranchi-834006, Jharkhand	Member
6	Dr. Mohini Saxena Bhartiya Yoga Anusandhan Kendra Near Radio Transmission Centre Anand Nagar Raisen Road Bhopal-21	Member
7	Dr. Manoj Pradhan, Department of Mining Engineering National Institute of Technology Raipur (Institute of National Important) G.E. Road, Chhattisgarh	Member
8	Shri Manohar K Joshi, 155, Vishwakarma Nagar, Annapurna Road, Indore-452009 (MP)	Member
9	Shri Rameshwar Maheshwari 182 M, Khatiwala Tank, Indore	Member
10	Dr. Udaya Raj Singh 94 Chhatrapati Colony, Chunabhatti, Walmi Road, Bhopal-462016	Member
11	Dr. Alok Mittal, Professor Department of Chemistry, Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal-462051	Member
12	Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board	Secretary

- 6. The Chairman and Members of SEAC, Madhya Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
- The SEAC, Madhya Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Gazette notification.
- 8. The SEAC, Madhya Pradesh shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.
- 9. The State Government of Madhya Pradesh shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Madhya Pradesh and the SEAC, Madhya Pradesh and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.
- 10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Member of the Authority. Madhya Pradesh and the Chairman and Members of SEAC, Madhya Pradesh shall be paid in accordance with the concerned rules of the State Government of Madhya Pradesh.

[No. J-11013/63/2007-IA.II (1)] AJAY TYAGI, Jt. Secy.



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 11, 2016/पौष 21, 1937

No. 72]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 11, 2016/ PAUSA 21, 1937

पर्यावरण, वन और वायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2016

का.आ. 78(अ).—केद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राजपत्र अधिसूचना कहाँ गया है) के अनुसरण में, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (रा.स्त.प.प्र.नि.प्रा.), मध्य प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् मध्य प्रदेश प्राधिकरण कहा गया है) की सहायता के प्रयोजन के लिए मध्य प्रदेश राज्य में खनन क्रियाकलापों से संबंधित सभी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दूसरी राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् रा.वि.म्.स.-2 कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :-

- डा. नवीन चन्द्र
 मकान सं. 246, सेक्टर 9-बी,
 साकेत नगर, भोपाल 462 024
 (म.प्र.)।
- श्री अनिल कुमार शर्मा
 50, न्यू एमपी/एमएलए क्वाटर्स,

अध्यक्ष

सदस्य

डिपो के निकट, जवाहर चौक, केनरा बैंक के पीछे, भदभाड़ा रोड, भोपाल (म.प्र.)।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
 उ9, रघुनाथ नगर,
 शाहपुर थाना के निकट,
 भोपाल – 462 039 (म.प्र.)।

सदस्य

डा. सोनल मेहता
 209 बी, शहनाई रेजिडेंसी 2,
 बंगाली स्कायर, कनाडिया रोड,
 इंदौर, म.प्र. ।

सदस्य

डा. मोहम्मद अकरम खान
प्रधान वैज्ञानिक, सीएसआईआर –
एडवांस्ड मेटिरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट
(सीएसआईआर-एएमपीआरआई),
होशंगाबाद रोड, हबीबगंज नाका,

सदस्य

(म.प्र.) भारत।

भोपाल - 462 064

श्री मोंहम्मद कसम खान
एफ-402, रिगालिया हाईट्स,
अहमदाबाद प्लेस रोड, कोह-ए-फिजा,
भोपाल म.प्र. 462 001।

सदस्य

संदस्य

 संदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

संदस्य- सचिव

- 2. रा.वि.मू.स.-2 की सिफारिशें, अपने विनिश्चय के लिए उक्त प्राधिकरण के विचार में लाया जाएगा।
- 3. रा.वि.मू.स.-2, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
- 4. रा.वि.मू.स.-2, मध्य प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी, जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रमाणित है।
- 5. रा.वि.मू.स-2., मध्य प्रदेश सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में मतैक्यता पर पहुंचने का प्रयास करेगा तथा यदि मतैक्यता पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत की राय अभिभावी होगी।
- 6. मध्य प्रदेश राज्य सरकार, मध्य प्रदेश रा.वि.मू.स.-2, मध्य प्रदेश के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन, जिसके अंतर्गत उसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, सहित उसे प्रदान करेगी।
- 7. रा.वि.म्.स.-2, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते का मध्य प्रदेश राज्य सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार संदत्त होगा।

[सं. जे-11013/63/2007-आई.ए.II(I)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2016

- S.O. 78(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests Number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Gazette notification), the Central Government, for the purpose of assisting the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Madhya Pradesh (hereinafter in this notification referred to as the said Authority), in consultation with the State Government of Madhya Pradesh, hereby constitutes the Second State Expert Appraisal Committee(hereinafter referred to as SEAC-2) from the date of publication of this notification in the official Gazette, for appraisal of all the projects related to Mining activities, in the State of Madhya Pradesh, comprising of the following Members, namely:-
 - Dr. Navin Chandra
 House No. 246, Sector 9-B,
 Saket Nagar, Bhopal 462 024
 (M.P.)

Chairman

Shri Anil Kumar Sharma
 New MP/MLA Quarters,
 Near Depot, Jawahar Chowk,
 Behind Canara Bank Bhadbhada
 Road, Bhopal (M.P).

Member

Shri Rajendra Kumar Sharma
 Raghunath Nagar, Near Shahpura Thana, Bhopal – 462039 M.P.

Member

 Dr. Sonal Mehta
 209 B, Shehnai Residency 2, Bengali Square, Kanadia Road, Indore, MP. Member

5 Dr. Mohd. Akram Khan Principal Scientist, CSIR – Advanced Materials and Process Research Institute (CSIR-AMPRI), Hoshangabad Road, Near Habibganj Naka, Bhopal – 462 064 (M.P) India Member

6 Shri Mohd. Kasam Khan F-402, Regalia Heights, Ahmedabad Palace Road, Koh e Fiza, Bhopal M.P 462001. Member

 Shri Prashant Shrivastava
 Duplex -145, Sheetal Mega City, Mandideep District Raisen (MP). Member

 Member Secretary, M P Pollution Control Board

Secretary

- 2. The recommendations of the SEAC-2, shall be taken into consideration by the said Authority for its decision.
- 3. The Chairman and Members of the SEAC-2, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the official Gazette.
- 4. The SEAC-2 shall exercise such powers and follow such procedures as are enumerated in the said Gazette notification.
- 5. The SEAC-2 shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the opinion of the majority shall prevail.

- 6. The State Government of Madhya Pradesh shall notify an agency to act as Secretariat for the SEAC-2, and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.
- 7. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of SEAC-2 shall be paid in accordance with the existing rules of the State Government of Madhya Pradesh.

[No. J-11013/63 / 2007- IA.II (I)] MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

मध्य प्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय :: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 5–1/2011/32 – भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक – का.आ. 1528 (अ) दिनांक 4 जुलाई 2011 द्वारा अधिसूचना क्रमांक – 1553 (अ) विनांक 14 सितंबर 2006 के अनुपालन में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) का गठन निम्नानुसार किया गया है:–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) -

श्री सुरेश चन्द्र जैन,
 निशात कॉलोनी,
 भोपाल – 462003

अध्यक्ष

 श्री बी.के. चुघ, फलैट नं. 145, सेक्टर ई-7, अवंतिका क्लब के सामने, बस स्टाप नं. 11 के नजदीक, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016

सदस्य

डॉ. वी. सुब्रामानियन,
 218, मुनीरका विहार,
 नई दिल्ली—110067

सदस्य

 श्री वी.आर. खरे, मार्फत् भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल

सदस्य

 डॉ. मोहिनी सक्सेना, भारतीय योग अनुसंधान केन्द्र, रायसेन रोड, आनन्द नगर, भोपाल–462021

सदस्य

 श्री के. पी. न्याती, डी–1–सी / 56–ए, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058

सदस्य

 श्री ए. पी. श्रीवास्तव, ई–8/52, रेलवे हाउसिंग सोसाइटी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल–462016

सदस्य

 श्री चन्द्रकान्त इराना सम्बुतवाद कृष्णा, प्लाट नं. ८, वैंकटेश को—ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी, जवाहर कॉलोनी, औरंगाबाद—431005

सदस्य

 सृदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सदस्य सचिव

- 2. उपरोक्तानुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 11 नवम्बर 2013 तक रहेगा।
- 3. उक्त राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) के कर्तव्य एवं दायित्व भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक—1553 (अ) दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं अधिसूचना क्रमांक— का.आ. 49 (अ) दिनांक 8 जनवरी 2008 में निहित प्रावधानों के अनुसार ही होंगे।
- 4. राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य की तरह विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष/सदस्यों को दिये जाने वाले मानदेय/भत्तें/सुविधायें मध्य प्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-5-4/2006/बत्तीस, भोपाल दिनांक 27.02.08 के द्वारा देय होंगे।
- 5. भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक— का.आ. 49 (अ) दिनांक 01.01.2008 की कंडिका—5 एवं कंडिका—10 के अनुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण की बैठकों एवं कार्य सम्पादन हेतु रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई—5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल निर्धारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

सही / – (डी.डी. अग्रवाल) उप सचिव मध्य प्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ.क्र. एफ 5—1/2011/32 प्रतिलिपिः

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई, 2011

 संयुक्त सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली की ओर अधिसूचना क्रमांक — का. आ. 1528 (अ) दिनांक 04 जुलाई, 2011 के संदर्भ में सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सदस्य

-सदस्य

---सदस्य

सदस्य

--सदस्य सचिव

HRCI an USIUS The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग ।1—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

11 12591

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2011/आषाढ़ 13, 1933

No. 12591

NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2011/ASADHA 13, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2011

का.आ. 1528 (अ). केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (सरक्षण) अधिक्षण, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) आग प्रत्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और अन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 49(अ), तारीख 8 बनारी, 2008 का और संशोधन करती है।

। भी सुरंश चन्द्र जैन । भी सुरंश चन्द्र जैन

10, निशात कॉलोनी, भोपाल 462003

) भी थी. कं. चुघ

भा था. क. पुच पर्केट नं. 145, सेक्टर ई-7, मर्नातका क्लब के सामने, भग स्टाप नं. 11 नजदीक

भएम कॉलोनी,

भागान -462016

ा हो यो सुब्रामानियन पार, मुनीरका विद्वार, हो दिल्ली-110067

ा या या आर खरे पार्वाय भारतीय वन प्रबंधन संस्थान.

मानान भारताय वन प्रबंधन स

C4 of 2011

 डॉ. मोहिनी सक्सेना भारतीय योग अनुसंधान केन्द्र, रायसेन रोड, आनन्द नगर,

भोपाल-462021

श्री के. पी. न्याती
 डी-1-सी/56-ए, जनकपुरी,
 मई दिल्ली-110058

7. श्री ए. पी. श्रीवास्तव

ई-8/52, रेलवे हाउसिंग सोसाइटी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016

 श्री चन्द्रकान्त इराना सम्बुतवाद कृष्णा, प्लाट नं. 8, वेंकटेश को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी,

जवाहर कॉलोनी, औरंगाबाद-431005

९. सदस्य सचिव

मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

 (ख) पैरा 7 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा,
 अर्थात् "अध्यक्ष और सदस्य 11 नवम्बर, 2013 तक अपने पद पर वने रहेंगे 1"

[फा. सं. जे-11013/30/2007-आईए 11(1)]

नलिनी मट, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. का.आ. 49(अ), तारीख 8 जनवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्परचात् अधिसूचना सं. का.आ. 2780(अ), तारीख 12 नवम्बर, 2010 द्वारा उसमें संशोधित की गई थी।

created with

nitro PDF professional

descriptor the first tall college at using all carries are all colleges at using all carries are all carries are

(1)

-अध्यक्ष

सदस्य

-- सदस्य

--सदस्य

-Chairman

-Men

-Mem

-Memb

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2011

S.O. 1528(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forest number S.O. 49(E), dated the 8th January, 2008.

2. In the said notification, (a) in paragraph 6, for serial number 1 to 7 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

- Shri Suresh Chandra Jain
 Nishat Colony,
 Bhopal-462003.
- 2. Shri B. K. Chugh
 —Member
 Flat No. 145, Sector E-7,
 Opp. Awantika Club,
 Near Bus Stop No. 11,
 Arera Colony
 Bhopal-462016.
- 3. Dr. V. Subramanain
 218, Munirka Vihar,
 New Delhi-110067.
- Shri V. R. Khare
 C/o Indian Institute of Forest
 Management, Bhopal.

- Dr. Mohini Saxena Bhartiya Yoga Anusandhan Kendra, Raisen Road, Anand Nagar, Bhopal-462021.
- Shri K.P. Nyati
 D-1-C/56A, Janakpuri.
 New Delhi-110058.
- Shri A. P. Srivastava
 E-8/52, Railway housing Society.
 Arera Colony,
 Bhopal-462016.
- Shri Chandrakant Iranna Sambutwad Membe Krishna, Plot No. 8, Venkatesh Co-Operative Housing Society, Jawahar Colony, Aurangabad-431005.
- Member Secretary
 Madhya Pradesh State Pollution
 Control Board.

 Member Secretary

 Member Secretary

 Member Secretary
- (b) for paragraph 7, the following paragraph shall be substituted, namely "The Chairperson and Members shall hold office for a period till the 11th November, 2013."

[F. No. J-11013/30/2007-IA. II(I)!

NALINI BHAT, Scientist 'G

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number S.O. 49(E), dated the 8th January, 2008 and subsequently amended vide notification number S.O. 2780(E), dated the 12th November, 2010.

0755-2463742

रजिस्ट्री सं ठी एल-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (II) PART II — Section 3 — Sub-section (II)

THE THE PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] No. 35] नई दिस्ती, मंगलवार, जनवरी 8, 2008/पौप 18, 1929 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 8, 2008/PAUSA 18, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनपरी, 2008

का.आ. 4% अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की धेसूचना संख्यांक का. आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस ई आई ए ए), मध्य प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, मध्य प्रदेश कहा गया है) का गठन करती है जिसमें मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित तीन सदस्य अर्धात् अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव समाविष्ट होंगे, जो निम्नलिखित हैं :-

- श्री सुत्रोती यनर्जी, पा. प्र. से (सेवानिवृत) अध्यक्ष, एच 11/95, अर्थवन्द विहार, याग मुगलई प्रवंधन मोपाल-462043
- श्री मुहम्मद हाशिम, मा.य.से. —सदस्य, (सेयानिवृत) गाँव सिंगरचौली, गुलमोहर वानिकी और मैरिज हाल के पीछे, एयरपोर्ट रोड, वन्यजीव भोपाल (मध्य प्रदेश)

- कार्यकारी निदेशक, पर्यावरणीय योजना —सदस्य-सचिय समन्वय संगठन मोपाल, पूर्व-पदेन सचिव, आयास और पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश सरकार
- 2 अधिक्षे और सदस्यों की पदाविध इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष होगी ।
- 3. प्राधिकरण, मध्य प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो अधिसूचना संख्याक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में दी गई है।
- 4. प्राधिकरण मध्य प्रदेश इस आदेश में मध्य प्रदेश सरकार के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस ई ए सी) की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय देगी।
- 5. मध्य प्रदेश राज्य सिकार अधिकरण को प्राधिकरण के सिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अधिमूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत आवास सुविधा, परियहन, और उसके सभी कानूनी कृत्यों को यावत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस, यात्रा मत्ताप्रमंहगाई भता मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियमानुसार संदत्त होगा।

92 OV2008

(1)

- 6. उक्त प्राधिकरण की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य सत्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन सिमित, मध्य प्रदेश का गठन करती है (जिसे इसमें इसके पश्चात् एस ई ए सी कहा गया है) जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे
 - श्री सुरेश चन्द्र जैन
 पूर्व सचिव, म.प्र. राज्य चुनाव आयोग
 उठ निशांत कालोनी, भोपाल
 मध्य प्रदेश-462003
 - 2 द्वाँ एस. आर. शुक्ला सदस्य, 50 निर्माण अपार्टमेंट, मयूर विहार पर्यावरण गुणवत्ता फेज-1, (एयसटेंशन) दिल्ली-110091
 - श्री घी, सुग्रामणयन
 प्राप्त प्राप्त प्रम्थयारमेंटल साईस
 पर्यावरण
 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
 गुणवत्ता
 नई दिल्ली-110067
 - 4. प्रो. के. सी. माधुर —सदस्य, पर्यावरण, विजिदिग प्रोफेसर, भिलाई इंस्टीटयूट गुणवता आफ टैक्नोलाजी, दुर्ग, सी-79, फर्स्ट फ्लोर, स्ट्रीट-12, स्मृति नगर, भिलाई, छत्तीस गढ्-490020
 - श्री के.के. गोस्वामी, सेवानिवृत सदस्य वानिकी वन संरक्षक, म.प्र., ई-3, सुरेन्द्र गार्डन, और अहमदपुर, होशंगाबाद रोड. वन्यजीव भोपाल-462
 - 6. हॉ. ही एल मंजुनाय, सेवानियृत —सदस्य, पर्यावरण प्रोफेसर विमागाय्यक्ष सिविल प्रभाव मूल्यांकन इंजीनियरिंग, मलानठ कालेज प्रक्रिया ऑफ इंजीनियरिंग, हसन, कर्नाटक, 'तुंगा' ईरवर मंदिर के निकट, गोरी कोपल रोह, हसन, कर्नाटक-573201
 - 7. सदस्य सचिव सदस्य मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण गोर्ड
- 7. अध्यक्ष और सदस्यों की पदाविध, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष होगी और एस ई ए सी, मध्य प्रदेश का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनर्गठन किया जाएगा ।
- १ एस ई ए सी, मध्य प्रदेश ऐसी शिवतयों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्यर, 2006 में दो ई ।

- 9. एस ई ए सी, मध्य प्रदेश सामूहिक दायित्य के सिद्धांत पर काम करेगी । अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में एकमत होने का प्रयास करेगा और यदि एकमत नहीं हो सकता तो यहुमत का विचार अभिभावी होगा ।
- 10. मध्य प्रदेश राज्य सरकार, अभिकरण को एस ई ए सी, मध्य प्रदेश के सिंपवालिय के हिए में किये किने के लिए अधिसीचत करेगा और यह सभी विश्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की यावत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवायेगी। एस ई ए सी के अध्यक्ष और सदस्यों को यैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के निदन्त के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[सं. जे-11013/63/2007-आई ए-।।(1)]

रां. आनन्दमुमार, चैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2008

S.O. 49(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the Government of India notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the Authority, Madhya Pradesh) comprising of three members namely, Chairman, Member and Member Secretary nominated by the State Government of Madhya Pradesh as under:—

- Sh. Subroto Banerjee, IAS (Retd.), —Chairman, H-IU95, Arvind Vihar, Bagh Management Mugalia, Bhopal-462043.
- 2. Sh. Muhammad Hashim, —Member.
 IFS (Retd.), Village Singarcholi,
 Behind Gulmohar Marriage Wildlife
 Hall, Airport Rond,
 Bhopal, M.P.
- 3. Executive Director, Environmental
 Planning Coordination
 Organisation (EPCO), Bhopal,
 Ex-officio Secretary, Housing
 and Environment Dept.,
 Govt. of M.P.
- The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Madhya Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006.

4. The Authority, Madhya Pradesh shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted for the State of

Madhya Pradesh in this order.

- 5. The State Government of Madhya Pradesh shall notify the agency to act as secretariat for the Authority and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions. Sitting Fee, Travelling Allowance/Dearness Allowance to the Chairman and Member of the Authority shall be paid by the State Government of Madhya Pradesh as per State rules.
- 6. To assist the said Authority, the Central Government, in consultation with the State Government of Madhya Pradesh, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committoe, Madhya Pradesh (hereinafter referred to as SEAC), which shall comprise the following Members:
 - 1. Sh. Suresh Chandra Jain, Chairman,
 Formor Secretary, M.P. State Management
 Election Commission,
 30, Nishat Colony,
 Bhopal, MP-462003.
 - Dr. S.R. Shukla Member, Environment 50, Ninnan Apartments, Quality Mayur Vihar, Phase-1 (Ext.), Delhi-110091.
 - 3. Sh. V. Subramanian Member,
 Professor, Environment
 School of Environmental Quality
 Sciences, Jawaharlal Nehru
 University, New Delhi-110 067
 - 4. Prof. K.C. Mathur, Member, Environment Visiting Professor, Bhilai Quality Institute of Tochnology, Durg. B-79, First Ploor, Street-12, Smriti Nagar, Bhilai, Chhattisgarh Pin: 490 020.

- 5. Sh. K.K. Goswami, Member, Forestry and Retd. Conservator of Wildlife Forests, MP, E-3, Surendra Garden Ahmedpur Hoshangabad Road, Bhopal-462
- 6. Dr. D.L. Manjunath, (Retd.) Member, EIA
 Professor and Head, Deptt. of Process
 Civil Engineering, Malnad College
 of Engineering, Hassan, Karnataka,
 "Tunga", Near Eshwara Temple,
 Gowri Koppal Road,
 Hassan, Karnataka, 573 201
- 7. Member Secretary,
 Madhya Pradesh Pollution
 Control Board

Secretary

- 7. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and SEAC, Madhya Pradesh shall be reconstituted after every three years.
- 8. The SEAC, Madhya Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006.
- 9. The SEAC, Madhya Pradesh shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endoayour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.
- 10. The State Government of Madhya Pradesh shall notify the agency to act as secretariat for the SEAC, Madhya Pradesh and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect to all its statutory functions. Sitting Foc, Travelling Allowance/Dearness Allowance, to the Chairman and Members of the SEAC shall be paid by the State Government of Madhya Pradesh as per State rules.

[No. J-11013/63/2007-LA. [](1)]

R. ANANDAKUMAR, Scientist 'G'